

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जी.टी.एस नं. 2024/358
मुकदमा नम्बर 120/2024

दर्ज दिनांक- 10.07.2024

1. शिवपाल पुत्र भगवानाराम निवासी वार्ड नं. 14 जयसिंहपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
-आवेदक

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री आशिष बुगालिया
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 04.10.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी की सरहद में खात सं. नया 137 पुराना 117 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 144 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 145 रकबा 1.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 है0 जिसमें आवेदक का नाम शयोपालराम पुत्र भगवाना के स्थान पर शिवपाल पुत्र भगवानाराम दर्ज व दुरुस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भू.अ./24/2808 दिनांक 13/08/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी की सरहद में खात सं. नया 137 पुराना 117 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 144 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 145 रकबा 1.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 है0 जिसमें आवेदक का नाम शयोपालराम पुत्र भगवाना के स्थान पर शिवपाल पुत्र भगवानाराम दर्ज व दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नुत्ताधिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू